①

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01578/2020-2021 दिनांक 05/12/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/DEO/11617/2020-2021 पत्रावली संख्या:G-38311 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति, ग्राम- पहाड़पुर पो0- गोठा रसूलपुर तहसील- सदर विकास खण्ड- बैतालपुर जनपद- देवरिया, देवरिया, 274201 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 868/2005-2006 दिनांक-10/11/2005 को दिनांक-10/11/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)
312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B
Date: 05/12/2020 12:19:59 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-05/12/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

(2)

संख्या 4059 पत्रावली सं०-जी-38311 दिनांक 10-11-05

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 868 2005 2006

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति ग्राम-पहाड़पुर पोस्ट-गौरा रसूलपुर तहसील-सदर विकास खण्ड-बैतालपुर जिला देवरिया

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 09/11/2010 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 10/11 दो हजार 05 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

10.11.05

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सर्व निबन्धन-23.2.2004-(1290)-10,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु. 5

Rs. 5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0DAA 267921

गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति
ग्राम- पहाड़पुर पो०- [illegible]
देवरिया [illegible] 38311
[illegible]

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

30/11/03

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु. 5 | Rs. 5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AA 267922

गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति
ग्राम- पहाड़पुर पो० गौरा [illegible]
देवरिया उ०प्र० [illegible]
(निबंधन)

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

30/11/05

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम — गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति,

2. संस्था का पता — ग्राम- पहाड़पुर पोस्ट- गौरा (बरहज) तहसील-सदर विकास खण्ड बैतालपुर जिला देवरिया (उ० प्र०)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र — संपूर्ण उत्तर प्रदेश

4. उद्देश्य — पुरुषों महिलाओं एवं बच्चों में शिक्षा के प्रसार प्रचार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा साहित्य पत्र पत्रिका का प्रकाशन करना एवं कराना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलम्बन की भावना द्वारा सामाजिक व शैक्षिक विकास करना तथा महिलाओं व निर्बल वर्ग को शिक्षित स्वावलम्बी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालय एवं प्राविधिक विद्यालय खोलना एवं खोलवाना तथा नवयुवकों में प्रचलित नशाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, नशाखोरी के विरुद्ध प्रचार प्रसार सेमिनार गोष्ठियों का आयोजन व पशुओं के संरक्षण के लिये पशुशाला की स्थापना करना व ______ औषधि करवाना, असाध्य रोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलाना व रोकथाम के उपाय करना व करवाना खाद्य एवं रसद के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान चलाना ______ एवं गोष्ठियों के आयोजन से जनजागरण कराना।

(1) [illegible]
(2) उमा नारायण सिंह
(3) [illegible]
(4) आदित्य
(5) अरविन्द
(6) [illegible]
(7) [illegible]
(8) [illegible]
(9) [illegible]
(10) राम प्रसाद
(11) उमा पाण्डेय

5. संस्था का कार्य — (1) कार्यशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला, विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय जिससे समाज का चतुर्मुखी विकास हो सके व ग्रामोद्योग की स्थापना करना व कराना।

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

2- समाज कल्याण तथा केन्द्रीय समाज कल्याण ------ योजनाओं को संचालित करना।

3- खादी ग्रामोद्योग द्वारा ------ योजनाओं को संचालित करना।

4- बालक बालिकाओं के लिये विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोलना।

5- ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं, विकलांगों, मूक बधिर तथा पिछड़े व अनुसूचित वर्गों के लोगों को प्रशिक्षित करना तथा उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा करना व करवाना।

6- जनता के लिये शैक्षणिक सामाजिक रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए शिक्षण संस्थाएं खोलवाना।

7- ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई बुनाई, कताई ------ कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा मूक-बधिर व अन्धों के लिये विद्यालय की स्थापना करना।

8- बालक बालिकाओं विकलांगों निराश्रित विधवा तथा पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति एवं मध्यमवर्गीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उसके लिये विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करना।

9- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु विद्यालय खोलना।

10- गांधी विचारधारा के अन्तर्गत साहित्य के प्रचार एवं प्रसार द्वारा लोगों को रचनात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना।

11. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अन्य कार्यों का संचालन करना व करवाना जो संस्था के उज्ज्वल भविष्य हेतु मान्य होंगे।

12. प्रबन्ध समिति द्वारा पृथक निर्धारित्रप्य कार्यक्रमों से रचना-

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

13- प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को संचालित करना।

14- खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जानकारी लेना एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना।

15- खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जानकारी प्राप्त करना।

16- कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषतः महिलाओं कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।

17- क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये तथा पशुपालन — व पशुशाला की विकास की योजनाओं को बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

18- क्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवृत्तियों व पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी व ग्रामोद्योग के उत्पादन — व प्रतिविधियों को अपनाना व विकास की अन्य योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग व ग्रामीण उद्योगों {रूरल इन्डस्ट्रीज} के प्रसार हेतु प्रशिक्षण एवं साहित्य की प्रकाशन व्यवस्था/नियुक्त करना।

1) रामजीवन
2) कृष्ण नारायण सिंह
3) [illegible]
4) आनिल
5) अरविन्द
6) रचना
7) शिवा
8) [illegible]
9) [illegible] प्रसाद
10) रामअवध
11) उषा पाण्डेय

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

19. संस्थान को हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण बोर्ड, यूनिसेफ आदि से जोड़कर महिलाओं बालिकाओं, को रचनात्मक कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करना।

20. विद्यालय छात्रावास कार्यशाला पुस्तकालय वाचनालय संग्रहालय व्यायाम शाला जिससे समाज का चहुंमुखी विकास हो सके व ग्रामोद्योग की स्थापना करना ।

21- शिशुपालन केन्द्र की स्थापना तथा आंगनबाड़ी बालबाड़ी अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा के ———— प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना ।

असाध्य रोगों के प्रति अभियान चलाकर लोगों को जागरूकता पैदा करना व स्वास्थ्य विभाग द्वारा (अनुदान) ———— प्राप्त कर अस्पताल का निर्माण एवं दवाईयों को वितरण कर इन रोगों के रोकथाम के उपाय करना व कराना ।

23- खाद्य एवं रसद के प्रति लोगों में खासकर पिछड़ी व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्बल वर्गों में सेमिनार व गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना ।

/5 पर

(1) [illegible]
(2) [illegible] नारायण सिंह
(3) [illegible]
(4) अनिल
(5) अरविन्द
(6) [illegible]
(7) निशा
(8) [illegible]
(9) कन्हैया प्रसाद
(10) रामअवध
(11) उषा पाण्डेय

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम पता एवं व्यवसाय जिनको संस्था में नियमानुसार कार्य-भार सौंपा गया :—

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री रामाशीष राय	श्री पौहारी राय	जिला पंचायत परिसर देवरिया उ.प्र.	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री डा. कृपानरायण	श्री स्व. सर्वजीत	ग्रा. हरैयाबसन्तपुर वि. क्ष. देसही देवरिया जि. देवरिया।	उपाध्यक्ष	चिकित्सक
3.	श्री सत्यकामराय	श्री छेदीराय	पहाड़पुर पो. गौठारसूलपुर प्रबंधक वि. क्ष. बैतालपुर जिला- देवरिया	प्रबन्धक/मंत्री	व्यापार
4.	श्री अनिल	श्री छेदी	ग्रा. पहाड़पुर पो. गौठारसूलपुर वि. क्ष. बैतालपुर जिला- देवरिया उ.प्र.	उप प्रबन्धक	कृषि
5.	श्री अरविन्द	श्री छेदी	जयमहालक्ष्मी राईस मिल पहाड़पुर जिला देवरिया उ. प्र.	कोषा-अध्यक्ष	कृषि
6.	श्रीमती चन्दा	श्री प्रभा	ग्रा. पहाड़पुर पो. गौठारसुलपुर वि. क्ष. बैतालपुर जिला-देवरिया उ.प्र.	आय-व्यय निरीक्षक	गृहकार्य
7.	श्रीमती किरन	[illegible]	जयभारत सोसायटी सुन्दरबाग कमानी के पीछे कुर्ला (मुम्बई) महाराष्ट्र	सदस्य	गृहकार्य
8.	श्री बालेन्दर प्रसाद	श्री पारसनाथ	ग्रा. कहुली पो. धुआ जनपद-सीवान (बिहार)	सदस्य	कृषि
9.	श्री कन्हैया प्रसाद	श्री हरिप्रसाद	ग्रा. पहाड़पुर पो. गौठारसूलपुर वि. क्ष. बैतालपुर जिला- देवरिया उ. प्र.	सदस्य	कृषि
10.	श्री रामअवध	श्री रामलोचन	ग्रा. भठवा पो. नरायनपुर जनपद कुशीनगर उ.प्र.	सदस्य	व्यापार
11.	श्रीमती उषा पान्डेय	श्री संजय पान्डेय	ग्रा. फुलवरिया पो. सिकरपुर जनपद महराजगंज उ.प्र.	सदस्य	गृहकार्य

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपयुक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21 सन् 1960 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

दिनांक 07-11-05

उप पंजीकार

30-11-05

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

30/11/05

30/11/05

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP26129992233062T
Certificate Issued Date	:	06-Aug-2021 12:01 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14318804/ GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14318804406779007550026T
Purchased by	:	GAUTAM BUDDH GRAMIN VIKAS SEWA SAMITI DEORIA
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GAUTAM BUDDH GRAMIN VIKAS SEWA SAMITI DEORIA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	GAUTAM BUDDH GRAMIN VIKAS SEWA SAMITI DEORIA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश

Please write or type below this line

जनरल स्टाम्प पेपर गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति
ग्राम - पहारपुर पोस्ट भाटा रुद्रपुर
जिला देवरिया पंजीयन सं० 33311 के साथ संलग्न है।
प्रबन्ध समिति
की सूची वर्ष 2021-22

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
06-8-2021

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding

गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति ग्राम पहाड़पुर पो0 गोठा रसूलपुर तहसील सदर, विकास खण्ड बैतालपुर, जनपद देवरिया के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो की सूची वर्ष 2021–2022

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री रामशीष	श्री पौहारी राय	अध्यक्ष	जिला पंचायत परिषद् देवरिया।	कृषि
2	डा0 रामकृपानारायण राय	स्व0 सर्वजीत	उपाध्यक्ष	हरैया बसन्तपुर वि0ख0 देसही, देवरिया।	चिकित्सक
	श्री अरविन्द	श्री छेदी	प्रबंधक/मंत्री	जय महालक्ष्मी राइस मिल पहाड़पुर देवरिया।	कृषि
4	श्री अनिल	श्री छेदी	उपप्रबन्धक	पहाड़पुर पो0 गोठा रसूलपुर देवरिया।	कृषि
5	श्री प्रभाकर राय	श्री छेदी राय	कोषाध्यक्ष	पहाड़पुर पो0 गोठा रसूलपुर देवरिया।	समाजसेवा
6	श्रीमती चन्दा	श्री [illegible]	आय–व्यय निरीक्षक	पहाड़पुर पो0 गोठा रसूलपुर देवरिया।	गृहिणी
7	श्रीमती भीखा	श्री रामअवध	सदस्य	जय भारत सोसायटी सुन्दर बाग कम्पनी के पीछे कुर्ला मुम्बई।	गृहिणी
8	श्री बालेन्दर प्रसाद	श्री [illegible]	सदस्य	खड़ौली पो0 बलुआ, सिवान बिहार।	कृषि
9	श्री कन्हैया प्रसाद	श्री हरि प्रसाद	सदस्य	पहाड़पुर पो0 गोठा रसूलपुर देवरिया।	कृषि
10	श्री रामअवध	श्री रामलोचन	सदस्य	मटवाँ पो0 नरायनपुर कुशीनगर।	व्यापार
11	श्रीमती उषा पाण्डेय	श्री संजय पाण्डेय	सदस्य	फुलवरिया पो0 शिकारपुर महराजगंज।	गृहिणी

सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता... 06.8.22

कृपा नारायण सिंह

अरविन्द राय   रामाशीष राय   अरविन्द राय

अनिल

सत्य – प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

(12)

संशोधित नियमावली

1–संस्था का नाम	:	गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास सेवा समिति
2–संस्था का पता	:	ग्राम–पहाड़पुर, पोस्ट गोठा रसूलपुर तहसील सदर विकास खण्ड–बैतालपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
3 संस्था का कार्यक्षेत्र	:	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग	:	संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी
(अ) संस्थापक सदस्य		जिन सदस्य द्वारा संस्था की स्थापना की जा रही है वे संस्था के संस्थापक सदस्य माने जायेंगे।
(ब) आजीवन सदस्य		वह व्यक्ति जो संस्था को 101/– रू0 नगद धनराशि एक बार ही मे दान स्वरूप देंगे वह संस्था के आजीवन सदस्य मान जायेंगी।
(स) सामान्य सदस्य		वह व्यक्ति जो संस्था को 5/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वह संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।
5 सदस्यता की समाप्ति	:	निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
		1–किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
		2–किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।
		3 किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
		4–किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग पत्र देने पर।
		5–किसी सदस्य के वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।
		6–किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।
6 संस्था के अंग	:	संस्था के दो अंग होंगे
		(अ) साधारण सभा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

(ब) प्रबंधकारिणी समिति।

7—साधारण सभा—

(अ) गठन — संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर नियमावली के अनुच्छेद नं0—4 के अनुसार साधारणा सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें — साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय सूचना पर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि — साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक के कभी भी 24 घंटे पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति — संस्था के सभी सदस्यों के कम से कम एक तिहाई उपस्थिति में साधारण सभा के सामान्य व विशेष सभी बैठकों की आपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी। इस प्रकार स्थगित बैठक पुनः आयोजन पर कोरम की आवश्यकता होगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन — संस्था की वार्षिक अधिवेशन 2 अक्टूबर के अवसर पर हर वर्ष मनायी जायेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य —

1—संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

2 आवश्यक संशोधन के साथ संस्था के नियमों विनियमों मे नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत करना।

3 प्रबंधकारिणी समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

4—संस्था के विरूद्ध कार्य करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना।

8—प्रबंधकारिणी समिति—

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

(अ) गठन – साधारण सभा के बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/मंत्री, उपप्रबंधक, कोषाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक के अलावा पांच सामान्य सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें – प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय सूचना पर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि – प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 24 घंटे पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति – प्रबंधकारिणी सदस्यों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकें की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से किसी भी योग्य व्यक्ति का निर्वाचन कर लिया जायेगा।

(र) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

1–संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत कराना।

2 ऐक्ट तथा विनियमों के उपलब्धों के अनुसार वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायीकरण पदोन्नति पदच्युत करना।

3–सरकार से प्राप्त अनुरक्षण विकास तथा प्रतिपूर्तियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

4–संस्था के लिये सभी प्रकार के अनुदान, दान, चन्दे, उपहार आदि प्राप्त करना।

(ल) कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

9–प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष – 1–संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर उ० प्र०

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

2 बैठक करने के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।

3–किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर निर्णायक मत देकर उसका निर्णय करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष के अनुपस्थिति मे उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके उपस्थिति में उनके कार्यों मे सहयोग प्रदान करना।

प्रबंधक / मंत्री :– 1–संस्था के लिये सभी प्रकार के अनुदान चन्दा दान आदि प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें लेना।

2–समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्ति एवं धनराशि को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।

3–संस्था के कर्मचारी के वेतन, वेतनवृद्धि तथा देय धनराशि का भुगतान स्वीकृति करना।

4–संस्था से संबंधित मामलों में समिति / संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना।

5 समिति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारिक रूप से कार्य करना।

उप प्रबंधक :– प्रबन्धक मंत्री के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष :– 1–संस्था की समस्त निधियों तथा धनराशियों के लेख को रखना।

2–आय–व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा उनकी रिपोर्ट प्रबंधक / मंत्री को प्रस्तुत करना।

3–प्राधिकृत आय–व्यय निरीक्षक द्वारा आडिट कराना एवं उसकी रिपोर्ट प्रबंधक / मंत्री को प्रस्तुत करना।

आय व्यय निरीक्षक :

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

संस्था के वित्तीय वर्ष अन्त में संस्था के आय व्यय का आडिट करना।

10—संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :— साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायगा।

11 संस्था का कोष :—

1—संस्था के कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक जिला सहकारी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा। जिसका संचालन संस्था के प्रबंधक/मंत्री और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। संस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के पैटर्न पर कार्य करेगा।

2—संस्था के निजी लाभ के कार्यों पर जोर न देकर प्राप्त लाभों को संस्थान के कर्मचारियों पर खर्च होगा।

3—संस्थान के सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा।

4—संस्था के कार्यकर्ता व कर्मचारी यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता साधारण सभा द्वारा स्वीकृत लाभांश भी पाने के अधिकारी होंगे।

5—कमीशन के नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर कमीशन व बोर्ड को यह अधिकार होगा कि संस्थान के गतिविधियों पर नियमानुसार नियंत्रण का अधिकार होगा।

12—संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षक (आडिट) संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्था का आडिट किसी चार्टड एकाउंटेन्ट से कराया जायेगा।

13 संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाए गए अदालती कार्यवाही के संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/मंत्री का होगा।

14— संस्था द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0 व अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बम्बई व राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

तथा अन्य वित्तीय विभागों द्वारा लिये गए ऋण की सुरक्षा एवं अदायगी के लिये प्रबंध समिति के सभी सदस्य सामूहिक रूप से व व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और जब तक ऋण की अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उनका अस्तित्व बना रहेगा चाहे वे सदस्यता से पृथक हो जायें। संस्था द्वारा जिस मद के लिये सहायता प्राप्त की जायेगी उसी मद में व्यय किया जायेगा तथा संस्था अपनी चल व अचल सम्पत्ति का बन्धक सम्बन्धित विभागों में नियमानुसार करेगी।

15 संस्था के अभिलेख:— संस्था के सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही, स्टाफ रजिस्टर, कैशबुक आदि होंगे।

16 प्रतिबन्धों की व्याख्या:— क– विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ख– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ग– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजेकेशन नई दिल्ली से प्राप्त है तो उक्त परीक्षा परिषदों में सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

घ– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

नहीं दिये जायेंगे।

ड— कर्मचारियों की सेवा शर्तें आदि भी [illegible] प्रशासकीय [illegible] माध्यमिक [illegible] कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ [illegible] कराये जायेंगे।

च राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

छ विद्यालय का रिकार्ड [illegible] [illegible] में रखा जायेगा। यदि हां तो कृपया [illegible] का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय का [illegible] के सभी [illegible]

[illegible] उक्त शर्तों में बिना [illegible] के [illegible] कोई परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन [illegible] किया जायेगा।

17—संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही — संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की [illegible] सोसाइटी रजिस्ट्रेशन [illegible] 14 के अन्तर्गत और खादी ग्रामोद्योग कमीशन व बोर्ड के निर्देशानुसार [illegible] समुद्देशीय संस्थान को नियमानुसार हस्तान्तरित की जायेगी।

अरविन्द राय   रामाशीष [illegible]   दुर्गा नारायण सिंह

अनिल

प्रतिलिपि कर्ता [illegible]
मिलान कर्ता [illegible]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]

Principal
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

अरविन्द राय
Manager
D.B.R. Senior Secondary School
Paharpur, Deoria

क्षेत्रीय कार्यालय ... नियन्त्रक कार्य ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

पत्रावली संख्या 6.38311

... 2021-22

02/08/2021

02/8/21